न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगदीश नारायण मथुरिया, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 58 / 2012 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2012 / 00032

उनवान

1. राजकौर पत्नी मोहन सिंह
2. प्रेम सिंह
3. हरेन्द्र सिंह

} पुत्रगण श्री मोहन सिंह जाति गूजर नि0 धाऊ पायसा भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. गंगा सिंह पुत्र मान सिंह जाति गूजर निवासी धाऊ पायसा अटलबंद गेट भरतपुर।
2. देवेन्द्र सिंह पुत्र हिम्मत सिंह
3. युधिष्टर सिंह
4. श्रोबिन सिंह

} नाबालिग पुत्रगण हिम्मत सिंह जरिये माता श्रीमती लीलावती

5. लीलावती पत्नी हिम्मत सिंह
6. कमलेश
7. रैना
8. विमलेश

} पुत्रीयान हिम्मत सिंह

9. समर सिंह पुत्र मान सिंह
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

} जाति गूजर निवासी जहारपीर मंदिर के पास नीमदा गेट भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

11. राधा
12. ऊषा

} पुत्रीयान मोहन सिंह जाति गूजर निवासी धाऊ पायसा भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पो0।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्रो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 09.07.2012 मु. नं. 29 / 08 उनवानी गंगा सिंह बनाम मोहन सिंह।

अभिभाषकण :–

1. वकील अपीलांट श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 26.12.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/रैस्पो0 ने एक दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी किता 8 कुल रकवा 1.05 हैक्टेयर स्थित ग्राम श्रीनगर तहसील व जिला भरतपुर पर वादी संख्या 01 आराजी के 1/4 हिस्सा के तथा वादी संख्या 02 लगायत 8 समभाग से आराजी के 1/4 हिस्सा के तथा शेष 1/2 हिस्सा आराजी के प्रतिवादी संख्या 01 व 02 सहखातेदार कृषक काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी पर अब संयुक्त रूप से काश्त किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में से वादी संख्या 01 को आराजी का 1/4 हिस्से पर तथा वादी संख्या 02 लगायत 8 को समभाग 1/4 हिस्से पर पृथक खाता व लगान कायम कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में, अपील मीमो के कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत

होने के कारण काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को रैस्पो0 के मुकाबले कम रकवा दिया गया है तथा आराजी मुतनाजा शहर भरतपुर में स्थित होने के कारण उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है जबकि बॅटवारा के दावा में सभी पक्षकारान को बराबर बराबर रकवा दिया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन के नियम 18 से 21 की कतई पालना नहीं की है। कुरा रिपोर्ट अपीलाण्ट की बैक पर, पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये हैं एवं ना ही उक्त कुरा रिपोर्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर ही मौजूद हैं। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त कुरा रिपोर्ट बाबत् आपत्ति भी की गयी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान ना देते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जाकर पुनः सभी पक्षकारान की मौजूदगी में कुरा रिपोर्ट तलब कर अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का बॅटवारा पक्षकारान के मध्य किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2017 पेज 299 एवं 2000 पेज 195 का उद्धरण भी पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पक्षकारो की उपस्थिति एवं सहमति से राजस्व अभिलेख में उनके दर्ज हिस्सेनुसार प्राथमिक डिक्री करते हुए, तहसीलदार डीग से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुॅजाईश शेष नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अपीलांट का प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि कुर्रे प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये गये हैं एवं रैस्पो0 को 01 ऐयर भूमि अधिक दी गयी है। विवादित भूमि शहर भरतपुर में होने के कारण उसकी कीमत अधिक है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 22.06.2012 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। उक्त विभाजन प्रस्तावों पर तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है, जबकि नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार को ही बनाने थे। विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व

मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना की जानी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। साथ ही विवादित आराजी नगरीय सीमा में आ जाने के कारण 01 एयर भूमि का विभाजन भी संभव है। ऐसी दशा में अतिरिक्त एक एयर रकवा को संयुक्त खातेदारी में भी रखे जाने पर विचार किया जा सकता है। उक्त कार्य कुर्रे प्रस्ताव बनाते समय ही किया जा सकता है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2012 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार से विवादित आराजी बाबत् पुनः अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुए, राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित कराते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। साथ ही उभयपक्षकारान् को भी निदेशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.01.2019 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश नारायण मथुरिया)
आर.ए.एस
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर